फर्द अहकाम

न्यायालय का नामः– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ,जिला जयपुर ग्रामीण

प्रीति गुप्ता

बनाम

योगेश वगै0

मुकदमा नम्बर 104/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28-6-2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री रामकरण शर्मा एडवोकेट ने धारा 212 आर0टी0एक्ट के तहत पेश किया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें तथा अप्रार्थीगणो की तलवी जरिये रजि0 डाक से करवाई जावें। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट पर एक तरफा सूना गया । वक्त दौराने सुनवाई प्रार्थी के अभि. ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया । वकील प्रार्थी के तर्को पर मनन किया प्रार्थना पत्र, एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के हक में होना प्रतीत होता है। अतः उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाता है कि वादी की खातेदारी भूमि खाता संख्या 165 खसरा नम्बर 1009, 1010, 1011, 1012 व 1013 वाके ग्राम थली पटवार हल्का थली तहसील आंधी वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर कच्चा पक्का निर्माण नही करें। यदि इस आज्ञा बाबत कोई उज्र हो तो नियत दिनांक 12.07.2024 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करें । पत्रावली वास्ते तलवी हेतु दिनांक 12.07.2024 को पेश हों। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जिला जयपुर ग्रामीण	
12/7/24	पत्रावली पेश हुई।..... पत्रावली अग्रानुसार वास्ते तलबी/जवाब..... दिनांक.....30/7/24.....को पेश हो।	
30/7/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण अनु0 वकील प्रार्थीगण व प्रार्थीगण को कारबार आवाज लगवाई गई इसके उपरान्त भी उपस्थित नही आए वकील प्रार्थीगण व प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 RT Act अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर में रक्खी हो।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर